



राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)


क्रमांक / रीडर / 2025 / 3448-50

दिनांक 19.09.2025

उनवानी प्रकरण:- रागचन्द्र बनाम भूमिधारी तहसीलदार  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट  
मुकदमा संख्या:- 114/2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 2599/भू.अ./2025 दिनांक 16.09.2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा - 136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम झाड़ली पटवार हल्का झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खाता संख्या 4 व 5 में खातेदार रामूराम पुत्र छोटूराम जाति गूर्जर के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र छोटूराम जाति गूर्जर का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का झाड़ली उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।


  
( अनिल कुमार )  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनांक 19.09.2025

क्रमांक / रीडर / 2025 / 3448-50

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

  
( अनिल कुमार )  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

